न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष यादव (आर.ए.एस.)

अपील प्रार्थना पत्र संख्या 12/01/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ सत्यमेव जयते जिला अलवर (राज०)

बउनवान

1. गुड्डी पुत्री स्व0 सन्ताराम माता सेवी बाई पत्नी गुरदयाल सिंह जाति राजपूत उम्र करीब 58 वर्ष निवासी नसवारी हालवासी हसनपुर तहसील व जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत नसवारी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

——असल रेस्पोडेन्ट

2. कालीदास पुत्र सन्ताराम माता सेवीबाई
3. सोमनाथ पुत्र सन्ताराम माता सेवीबाई
4. अरूण चन्द पुत्र सन्ताराम माता सेवीबाई
5. वीरोबाई पुत्र सन्ताराम माता सेवीबाई
6. फूलोबाई पुत्र सन्ताराम माता सेवीबाई
7. उत्तम राम माता स्व0 रानोबाई नवासा सेवीबाई
8. जगदीश माता स्व0 रानोबाई नवासी सेवीबाई
9. मिनदाबाई माता स्व0 रानोबाई नवासी सेवीबाई

जाति राजपूत निवासीयान नसवारी तहसील गोविन्दगढ़ जिला।

–रेस्पोडेन्ट

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

उपस्थितः—
श्री अरूण कुमार शर्मा— अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
सत्यमेव जयते
जिला अलवर (राज॰)

निर्णय

दिनांक 27.03.2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील ग्राम पंचायत नसवारी के निर्णय 25.05.2015 इंतकाल सं. 1877 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा पेश की गई है। ग्राम पंचायत नसवारी के निर्णय 25.05.2015 बाबत् इन्तकाल संख्या 1877 नकल प्रति प्रार्थी द्वारा पेश की गई है। ग्राम पंचायत नसवारी के इंतकाल संख्या 1877 वाके ग्राम नसवारी में अपीलान्ट का नाम गुड्डी बाई की जगह सम्मोबाई दर्ज कर रखा है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.01.2022 को पटवारी हल्का से प्राप्त हुई। अपीलान्ट की माता सेवी बाई पत्नी संताराम राजपूत निवासी नसवारी का विरासत इन्तकाल संख्या 1877 जो पटवारी हल्का ने बिना अपीलान्ट के नाम व दस्तावेज की जांच किए बिना अपीलान्ट का नाम गुड्डीबाई की जगह अन्य वारिसान तरतीवी रेस्पोडेन्ट के साथ सम्मोंबाई नाम गलत दर्ज कर इंतकाल को ग्राम पंचायत नसवारी कोरम के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट को सुने बिना एंव दस्तावेजों की जॉच किये बिना इंतकाल संख्या 1877 में अंकित गलत सम्मोबाई नाम को ही दिनांक 25.05.2015 को तस्दीक कर दिया जिसके अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम गुड्डी देवी की जगह गलत नाम सम्मोबाई दर्ज हो गया है। अपीलान्ट इन्तकाल संख्या 1877 वाके ग्राम नसवारी में वर्णित आ0ख0नं0 230, 231, 1416/752 कुल किता 3 रकबा 2 बीघाा 16 बिस्वा वाके ग्राम नसवारी में अपीलान्ट मृतका सेवीबाई के अन्य वारिसान तरतीवी रेस्पोडेन्ट के साथ मुताबिक हिस्सा कास्त करती चली आ रही है। अपीलान्ट द्वारा अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत नसवारी के आदेश दिनांक 25.05.2015 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 1877 वाके ग्राम नसवारी में अपीलान्ट का नाम सम्मोबाई के स्थान पर गुड्डी बाई दुरूस्त किए जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰

अपील अपीलाण्ट रजिस्टर दर्ज कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 द्वारा जवाब पेश नही किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद जवाब बंद किया गया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ सत्यप्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 1750, 1877 व जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम नसवारी ग्राम पंचायत नसवारी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया। हमने पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। जहां तक मियाद के विन्दु का सवाल है माननीय राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के विन्दु पर नरम रूख अपनाया है। अपील विरासत इन्तकाल की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पर नरम रूख अपनाते हुये व अपीलाण्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये अपीलाण्ट की अपील अन्दर अवधि सुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलान्ट की माता सेवी बाई पत्नी संताराम राजपूत निवासी नसवारी का विरासत इन्तकाल संख्या 1877 जो पटवारी हल्का ने बिना अपीलान्ट के नाम व दस्तावेज की जांच किए बिना अपीलान्ट का नाम गुड्डीबाई की जगह अन्य वारिसान तरतीवी रेस्पोडेन्ट के साथ सम्मोंबाई नाम गलत दर्ज कर दिया है। जबकि वास्तविक नाम गुडडीबाई है। अपीलांट के नाम की जॉच करनी चाहिए थी। अपीलांट को सुने बिना व उसके दस्तावेजों की जॉच किये बिना ही विरासत इंतकाल को तस्दीक कर दिया। जिससे इंतकाल में अपीलांट का गलत नाम सम्मोबाई दर्ज हो गया। इसलिए अपील पेश कर निवेदन है कि इंतकाल सं. 1877 आदेश दिनांक 25.05. 2015 को निरस्त फरमाया जाकर इंतकाल में अपीलांट का नाम सम्मोबाई के स्थान पर गुड्डी बाई दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

–:आदेश:–

अतः यह न्यायालय प्राथी की अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश मातहत अदालत ग्राम पंचायत नसवारी पं.स. गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 दिनांक 25.05.2015 बाबत इंतकाल सं. 1877 ग्राम नसवारी तह0 गोविन्दगढ़ को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गोविन्दगढ़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकार की सुनवाई कर विधिक निर्णय पारित करें।

(सुभाष यादव)
उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
जिला–अलवर (राज0)

आज दिनांक 27.03.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़
जिला–अलवर (राज0)